भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 3692

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

पीएम वाईएएसएएसवीआई के तहत प्रदान की गई छात्रवृत्ति

3692. श्री बलराम नाइक पोरिका:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया (पीएम वाईएएसएएसवीआई) केंद्रीय क्षेत्र की योजना और अन्य योजनाओं के तहत एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्लूएस श्रेणियों को वितरित की गई राशि और लाभार्थियों सहित प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और;

(ख) इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ओबीसी और एससी के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन करता है:

1. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी) नामक एक व्यापक योजना, जिसके निम्नलिखित चार घटक हैं:

I. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति
II. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति
III. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूलों में टॉप क्लास शिक्षा
IV. ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेजों में टॉप क्लास शिक्षा

2. एससी के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस), जिसके अंतर्गत निम्नलिखित चार घटक शामिल हैं:

I. अनुसूचित जाति के लिए टॉप क्लास शिक्षा (टीसीएस)

II. एससी, ओबीसी और पीएम-केयर्स चिल्ड्रेन के लाभार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग (एफसीएस)

III. अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस)

IV. अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएससी)

3. यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस-ओबीसी) के निम्नलिखित दो घटक हैं:

I. ओबीसी के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप

II. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) के लिए विदेश में पढ़ाई हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डॉ. अंबेडकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना

4. ऊपर बताई गई योजनाओं के अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का भी कार्यान्वयन करता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कार्यान्वित की गई सभी योजनाओं के तहत जारी की गई राशि और लाभार्थियों का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच माध्यमिक और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं का कार्यान्वयन करता है:-

I. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)

II. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)

III. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (टॉप क्लास)

IV. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप (एनएफएसटी)

V. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस)

जनजातीय कार्य मंत्रालय की सभी पाँच योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों में जारी की गई राशि और लाभार्थियों का विवरण **संलग्नक-II** में दिया गया है।

उच्चतर शिक्षा विभाग निम्नलिखित घटकों के साथ प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन [पीएम-यूएसपी] योजना का कार्यान्वयन करता है:

I. कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजना
II. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम-यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना

उच्चतर शिक्षा विभाग की दो योजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों में जारी की गई राशि और लाभार्थियों का विवरण **संलग्नक-III** में दिया गया है।

संलग्नक-I

श्री बलराम नाइक पोरिका द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3692, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-I

जारी की गई राशि करोड़ में

क्र.सं.	योजना का नाम	2023-24		2024-25		2025-26	
		जारी की गई राशि	लाभार्थी	जारी की गई राशि	लाभार्थी	जारी की गई राशि	लाभार्थी
1	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना	195.63	18.43 लाख	158.49	20.61 लाख	252.21	25.22 लाख
2	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्र प्रायोजित योजना	988.45	27.16 लाख	895.47	24.53 लाख	1138.88	31.29 लाख
3	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए स्कूल में टॉप क्लास शिक्षा की केंद्रीय क्षेत्र की योजना	6.73	3,177	32.48	13,769	75.63	27,007
4	ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए कॉलेज में टॉप क्लास शिक्षा की केंद्रीय क्षेत्र की योजना	124.41	5,806	318.39	14,922	428.59	18,701
5	अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	5475.42	47,38,578	5562.23	48,04,208	6186.96	47,53,420
6	अनुसूचित जाति और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	446.64	21,29,540	460.91	21,65,983	562.36	26,79,049
7	ओबीसी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	89.70	2,009	148.15	2,197	105.19	2,506
8	ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी हेतु डॉ. अम्बेडकर केंद्रीय क्षेत्र की योजना	56.24	2,789	9.49	837	0.20	104
9	अनुसूचित जाति के लिए यंग अचीवर्स हेतु उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति (श्रेयस)	379.98	8,472	404.61	10,897	395.4	9,897

संलग्नक-II

श्री बलराम नाइक पोरिका द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3692, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-II

जारी की गई राशि करोड़ में

क्र.सं.	योजना का नाम	2023-24		2024-25		2025-26	
		जारी की गई राशि	लाभार्थी	जारी की गई राशि	लाभार्थी	जारी की गई राशि	लाभार्थी
1	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)	308.60	10,26,448	163.69	8,94,939	155.24	9,33,688
2	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)	2668.68	21,76,484	2598.34	21,85,183	3854.36	26,50,164
3	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (टॉप क्लास)	70.44	5,429	95.38	7,013	72.93	8,571
4	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (एनएफएसटी)	159.56	2,975	144.62	2,698	146.65	2,961
5	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (एनओएस)	7.00	65	6.00	58	8.00	64

संलग्नक-III

श्री बलराम नाइक पोरिका द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3692, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-III

							जारी की गई कुल राशि करोड़ में
क्र.सं.	योजना का नाम	2023-24		2024-25		2025-26	
		जारी की गई राशि	लाभार्थी	जारी की गई राशि	लाभार्थी	जारी की गई राशि	लाभार्थी
1	पीएम-यूएसपी सीएसएसएस	217.26	1,69,790	259.65	2,04,049	255.66	2,00,730
2	पीएम-यूएसपीवाई एसएसएसजेकेएल	200	11,887	143.9	11,212	258.79	12,436
